न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 30/24 दायरा दिनांक 27.11.2024

गजनलाल पुत्र प्रभू उम्र 68 वर्ष कोम किराड साकिन कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

1–मेघराज पुत्र हरली कोम चमार साकिन कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955

निर्णय–दिनांक 01.04.2025

उपस्थित– प्रार्थी की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

अप्रार्थी की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट

प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम कलोनी पटवारक्षेत्र मुण्डियर तहसील शाहाबाद के खाता संख्या नयी 94 पुरानी 85 में प्रार्थी के खाते कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 34/1 रकबा 5.17 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ स्थित है, जिसे प्रार्थनापत्र में आगे विवादित आराजी कहा गया है। उक्त विवादित आराजी वर्ष 1976 में प्रार्थी को आवंटन हुई है, तभी से प्रार्थी उक्त विवादित आराजी को वहेसियत मालिक काबिज हो निरंतर काश्त करता चला आ रहा है। यह कि विवादित आराजी का मूल ख0नं0 34 तथा कुल रकबा 13.17 बीघा रहा है, जिसमें से सर्वप्रथम 5.17 बीघा भूमि दिनांक 18.11.1976 को प्रार्थी के हक में आवंटन की गई, इसके बाद रकबा 4.00 बीघा दिनांक 10.01.1983 को अप्रार्थी क्रम 1 को आवंटन हुई है तथा शेष रकबा 4.00 बीघा सिवायचक गैरमुमकिन बेहड के रूप में वर्तमान में दर्ज है। सर्वप्रथम आवंटन होने से प्रार्थी को ख0नं0 34/1 तथा अप्रार्थी क्रम 1 को ख0नं0 34/2 दिया गया है और शेष सिवायचक भूमि का खसरा नम्बर 34 दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी अपनी आवंटनशुदा भूमि ख0नं0 34/1 रकबा 5.17 बीघा का खातेदार होकर निरंतर काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थी के कब्जे काश्त व खाते की भूमि को अपने खाते की भूमि खसरा नम्बर 34/2 होना बतलाकर वादी के 50 साल पुराने कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रहा है और प्रार्थी को बेदखल करने को आमादा है, जिसका अप्रार्थी क्रम को कोई हक अथवा अधिकार नहीं है। दिनांक 08.11.2024 को प्रार्थी तथा अप्रार्थी ने आराजी ख0 न0 34/1 तथा 34/2 की पैमायश हेतु श्रीमान को आवेदन किया, जिस पर श्रीमान के आदेशानुसार हल्का पटवारी द्वारा पैमायश की गई और प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में अप्रार्थी क्रम 1 को भूमि नाप दी और प्रार्थी के पू[illegible] हल्का [illegible] आईएलआर ने बताया कि हमने तो नक्शे के हिसाब से पैमायश की है जो [illegible] है दिनांक 11.11.2024 को प्रार्थी ने श्रीमान कार्यालय से अप्रार्थी क[illegible] के आवंटन [illegible] दखलनामा की प्रति प्राप्त की तब प्रार्थी को ज्ञात हुआ है कि अप्रार्थी क्रम 1 ने हल्का पटवारी व आईएलआर से सांठगांठ कर अपने खसरा नम्बर 34/2 का नक्शा अपने दखलनामा के बिपरीत उस स्थान पर तरमीम करा लिया है जहां प्रार्थी का कब्जा काश्त है और गलत नक्शा तरमीम के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:31:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

पर पैमायश करा कर प्रार्थी के सदैव के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रहा है तथा प्रार्थी को बेदखल करने आमादा हो रहा है जिसका अप्रार्थी क्रम 1 को कोई हक अथवा अधिकार नहीं है। मूल ख0नं0 34 में अप्रार्थी क्रम 1 की आराजी ख0नं0 34/2 की तरमीम अप्रार्थी क्रम 1 के दखलनामा के विपरीत की गई है और इस गलत तरमीम की आढ में अप्रार्थी क्रम 1 वादी के 50 साल पुराने कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रहा है। यह कि यदि अप्रार्थी को शीघ्र ही अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थी प्रार्थी को प्रार्थी के ही खाते व कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजी से बेदखल कर देगा जिससे प्रार्थी परिवार के भूंखों मरने की नौबत आ जावेगी। प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन संभव नहीं हो सकेगा। विवादित आराजी श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत स्थित होने से प्रार्थनापत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थनापत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा के जर्ये पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 34/1 रकबा 5.17 बीघा ग्राम कलोनी पटवार क्षेत्र मुण्डियर तहसील शाहावाद बावत प्रार्थी के स्वतंत्र कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें, न अन्य से करावें। अन्य न्यायोचित सहायता जो श्रीमान मुनासिब समझे प्रार्थीगण को प्रदान की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी क्रम 1 ने जबाव पेश किया कि प्रार्थनापत्र की मद नं0 1 अस्वीकार है। प्रार्थी को सफलता की लेशमात्र भी संभावना नहीं है। प्रार्थनापत्र की मद नं0 2 में प्रार्थी की आराजी स्थित होना ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थी की आराजी से अप्रार्थी का कोई सम्बंध नहीं है प्रार्थी उक्त आराजी के ख0नं0 का उल्लेख कर अप्रार्थी के खाते की आराजी ख0नं0 34/2 रकबा 4.00 बीघा पर अप्रार्थी अपने अवैध कब्जे को संरक्षित करना चाहता है। मद नं0 3 अस्वीकार है इस मद में वर्णित चतुर्थ दिशाओं के मध्य की कृषि भूमि ख0नं0 34/1 होना अस्वीकार है। उक्त वर्णित कृषि भूमि एस0सी0 जाटव के खातेदारी की है जिस पर प्रार्थी ने बलपूर्वक अवैध कब्जा कर कब्जा जमा लिया है अतिक्रमी प्रार्थी माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की सहायता का हकदार नहीं है। प्रार्थनापत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है। प्रार्थी स्वर्ण जाति के व्यक्ति ने जाटव एस0सी0 की खाते की भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है व माननीय न्यायालय में झूठी कार्यवाही पेश कर अवैध कब्जे को संरक्षण चाहता है प्रार्थनापत्र अवैध विधि विरूद्व व अनुसूचित जाति के प्रति अत्याचार होकर खारिज योग्य है प्रार्थी के कृत्य से धारा 3 का आपराधिक कृत्य प्रमाणित है। प्रार्थनापत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है। प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। स्थगन जारी किया जाता है तो अनुसूचित जाति होकर एस0सी0 जाटव के अवैध बलपूर्वक कब्जे को अवैध संरक्षण प्राप्त होगा। प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है। मद नं0 6, 7 अस्वीकार है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:31:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

प्रार्थी तथा अप्रार्थी दोनो ही रिकार्डेड खातेदार हैं। ग्राम कलोनी तहसील शाहावाद स्थित प्रार्थी की विवादित आराजी का ख0नं0 34/1 रकबा 5.17 बीघा तथा अप्रार्थी की आराजी का ख0नं0 34/1 रकबा 4.00 बीघा है। पत्रावली पर मौजूद रिकार्ड का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि प्रस्तुत नकल नक्शा ट्रेस ग्राम कलोनी तहसील शाहावाद के मूल ख0नं0 34 में अप्रार्थी कम 1 की आराजी ख0नं0 34/1 की तरमीम अप्रार्थी कम 1 के दखलनामा के अनुरूप नहीं की गई है और यही विवाद का कारण बना हुआ है, जिसका निस्तारण मूल वाद में दोनो पक्ष की साक्ष्य उपरान्त किया जावेगा। प्रार्थी अपना मामला प्रथम दृष्टया साबित करने में सफल रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण दोनो को अस्थाई निषेधाज्ञा के जर्ये पाबन्द किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण होने तक रिकार्ड तथा मौके की स्थिति को यथावत रखेंगे। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 01.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

01.04.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहावाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:31:10 IST
Reason: SelfAttested